य सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट नदबई जिला भरतपुर (राज0)

(पीठासीन अधिकारी श्री मुहम्मद जुनैद आइ.ए.एस.)

:–156 / 2021
दमा :– प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.
नांक :–10.11.2021

सतीश कुमार उम्र 61 साल पुत्र रमनलाल जाति ब्रह्मण निवासी अहमदाबाद तहसील अहमदाबाद जिला अहमदाबाद हाल निवास आन्यौर गोवर्धन जिला मथुरा उत्तरप्रदेश

गोपाल प्रसाद उम्र 45 पुत्र रमनलाल जाति ब्रह्मण निवासी अहमदाबाद तहसील अहमदाबाद जिला अहमदाबाद हाल निवास आन्यौर गोवर्धन जिला मथुरा उत्तरप्रदेश

प्रार्थीगण

बनाम

शंकर पुत्र गुलाब उर्फ गणेशी जाति ब्राह्मण निवासी लखनपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई

श्रीमान सबरजिस्ट्रार लखनपुर

अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्त श्री जगदीश चन्द एडवोकेट (प्रार्थीगण के ओर से)
श्री अशोक कुमार बिहारिया (केवियट प्रार्थना पत्र श्री गीता की ओर से)

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए.

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0ए0 के तहत इस आशय का पेश किया गया कि जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है।

1. यह है कि हाल आराजी खाता सं. 526 के खसरा नम्बर 1942 रकवा 0.35 , 85 रकवा 0.23 किता 2 रकवा 0.58 व खाता 231 के खसरा नम्बर 1831 रकवा 0.01 , 1832 रकवा 0.05 , 1833 रकवा 0.007 , 1834 रकवा 0.01 , 202 रकवा 0.09 , 262 रकवा 0.010 किता 6 कुल रकवा 0.33 हैक्टे. खाता सं. 411 के खसरा नम्बर 308 रकवा 0.32 , 311 रकवा 0.16 , 313 रकवा 0.18 , 332 रकवा 0.11 , 320 रकवा 0.53 , 337 रकवा 0.08 , 339 रकवा 0.[illegible] 57 , 340 रकवा 0.26, 341 रकवा 0.28 , 342 रकवा 0.27 , 361 रकवा 0[illegible] रकवा 0.25 , किता 12 कुल रकवा 3.50 व खाता सं. 410 के [illegible] 126 रकवा 0.17 , 127 रकवा 0.17 , 128 रकवा 0.15, 129 रकवा 0.13 , 130 [illegible] 0.17 , 131 रकवा 0.17 , 132 रकवा 0.12 किता 8 कुल रकवा 1.2 व खाता सं. 328 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Muhammad Junaid P P
Date: 2022.01.04 18:05:17 IST
Reason: SelfAttested

खसरा नम्बर 377 रकवा 0.08 व खसरा नम्बर 1643 रकवा 0.15 , 1644 रकवा 0.17 , 1655 रकवा 0.11 , 1679 रकवा 0.06 , 179 रकवा 0.13 , 180 रकवा 0.12 , 1826 रकवा 0.10 , 1847 रकवा 0.10 , 1914 रकवा 0.13 , 1951 रकवा 0.16 , 1952 रकवा 0.16 , 1953 रकवा 0.16 , 1954 रकवा 0.15 , 199 रकवा 0.15 , 201 रकवा 0.19 , 212 रकवा 0.23, 223 रकवा 0.13 , 224 रकवा 0.13 , 244 रकवा 0.07 किता 19 रकवा 2.60 हैक्टै0 वाके ग्राम लखनपुर तहसील नदबई स्थित है।

यह है कि विवादित आराजी पैत्रिक सम्पत्ति की आराजी है।जिसपर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है।

3. यह है कि विवादित आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 पैत्रिक सम्पत्ति की आराजी है। जिसपर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है लेकिन कर्ता खानदान होने के कारण आराजी प्रार्थिया एवं अप्रार्थी सं. 1 शंकर के पिता के नाम खातेदारी काश्तकारी में है लेकिन अप्रार्थी सं. 1 जो चतुर चालाक किस्म का आदमी था जिसके कारण अप्रार्थी सं. 1 द्वारा फर्जी एवं जाल साजी पूर्वक विवादित आराजी का अकेले अप्रार्थी सं. 1 ने अपने नाम वाहिद इन्द्राजात खातेदारी काश्तकारी करा ली है। तथा अब अप्रार्थी सं. 1 विवादित आराजी को रहन व मुन्तकिल करने पर आमादा है। जबकि विवादित आराजी में प्रार्थीगण सं. 1 की मॉ किस्तूरी जो की फौत हो चुकी है का हक व अधिकार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत बनता है। तथा प्रार्थीगण का माता के फौत होने पर हक व अधिकार बनता हैं ऐसी स्थिति में अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा जालसी पूर्वक कुठरचित दस्तावेजात तैयार कर अपने नाम वाहिद इन्द्राजात खातेदारी कराये गये हैं प्रार्थीगण के हक व अधिकार तक नल एण्ड बोइड ऐसी स्थिति में आराजी में अप्रार्थी सं. 1 के नाम चले आ वाहिद इन्द्राजात खातेदारी को कलमजन किया जाकर प्रार्थीगण को अपने आप खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने का अधिकारी है। तथा इसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करा पाने का अधिकारी हैं

4. यह है उक्त विवादित आराजी को अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के हक व हिस्से से महरूम व बेदखल करना चाहाता है। ऐसा करने का कोई हक व अधिकार नही है।

5. यह है कि प्राइमाफेसी केस व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में साबित है। अत विवादित आराजी में मदाखलत मदाहमत नही करने व रहन व मुन्तकिल नही करने रहन व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थी गण को पाबंद किया जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0ए0 के तहत दर्ज रजिस्टर्ड कि... कर सुना गया तथा केवियट प्रार्थना प्रत्र गीता पत्नि दिलीप जाति ब्रह्मण निवासी लखनपुर की ... पेश किया गया । तथा बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0ए0 पर सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विवादित आराजी प्रार्थना पत्र की मद सं ... में वर्णित आराजी पैत्रिक सम्पत्ति की आराजी है जो अप्रार्थी सं. 1 शंकर को अपने पिता गुलाब उर्फ गणेशी से मृत्यु के बाद जरिये विरासतन प्राप्त हुई हैं जिस बाबत् मुझ प्रार्थी द्वारा विरासत की नकल दाखिला खारिज पेश की है। तथा अप्रार्थी सं. 1 शंकर के पिता गुलाब के नाम की जमाबंदी भी पेश की है। जिसमें उक्त विवादित आराजीयात का पैत्रिक होना प्रमाणित है। प्रार्थी अप्रार्थी सं. 1 की सगी बहिन

Signature Not Verified
Digitally signed by Muhamma
Junaid P P
Date: 2022.01.04 18:05:17 IS
Reason: SelfAttested

के पुत्रगण है। कानून अनुसार पैत्रिक सम्पत्ति में गुलाब के मरने के बाद शंकर के साथ बराबर प्रार्थीगण सं. 1 व 2 की मॉ किस्तूरी के नाम विरासतन का दाखिला दर्ज होना चाहिये न शंकर के बड़े होने एवं कर्ता खानदार होने के कारण दाखिला खारिज केवल शंकर के हक दर्ज कर दिया इसलिए पैत्रिक सम्पत्ति में शंकर के साथ प्रार्थी की माता किस्तूरी का भी बराबर बनता है। किस्तूरी के मरने के बाद किस्तूरी के 1/2 हिस्से में प्रार्थीगण का बाहिस्सार अधिकार बनता है। उक्त आराजीयात को भी अप्रार्थीगण बेचान भी कर चुके है। तथा पुनः बेचान के फिराक में भी इसलिए दावा की वास्तविक स्थिति उक्त प्रकरण के मैरिट पर निस्तारण तक रखना न्यायालय श्रीमान का अधिकार व कर्तव्य है। ताकि बेजात तौर पर मुकदमे वाजी न बढे न्याय भी न्यायालय के समक्ष सुलभ हो सके। इसप्रकार प्रइमाफेसी केस सुविधा का सन्तुलन के गण के हक में बखूबी साबित है। अगर अप्रार्थीगण को रहन व मुन्तकिल करने से नही रोका तो गण को अजीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति नकद न हो सकेगी। इसलिए विवादित आराजीयात की व मौके की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु स्थगन आदेश से अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे।

वकील अप्रार्थी/ केवियट कर्ता ने अपनी बहस में तर्क दिया कि प्रार्थीगण द्वारा जो वेजात पैत्रिक सम्पत्ति के पेश किये गये है। उनका मिलान हाल खसरा नम्बरान से नही हो रहा उक्त दस्तावेजात विवादित आराजी से सम्बन्धित नही है एवं अप्रार्थी सं. 1 शंकर के पिता को मरे करीब 50 वर्ष से अधिक समय हो चुका है। और उत्तराधिकारी नियम 2005 में लागू हुआ है। के तहत पुत्रियो को पिता की पैत्रिक सम्पत्ति में अधिकार सन् 2005 से दिये गये है। जिनके पिता मृत्यु उत्तराधिकार अधिनियम लागू होने से पूर्व हो चुकी है। उन पुत्रियो को पिता की पैत्रिक त्ति में पुत्रियो को अधिकार नही दिये गये हैं इसप्रकार अप्रार्थी सं. 1 की दर्ज आराजीयात में र्गण की माता किस्तुरी का कोई हक व अधिकार नही बनता हैं जब माता का ही अधिकार नही है प्रार्थीगण का किसी भी प्रकार का खातेदारी अधिकार नही है। इसलिए अप्रार्थीगण सं. 1 शंकर की तेदारी की निर्विवाद है।और एक र्निविवाद खातेदार को किसी भी स्थगन आदेश से पाबंद किया ना उचित नही है। राज0 टेनेन्सी एक्ट में खातेदारी अधिकारो पर कुठरघात होगा प्राइमाफेसी केस व विधा का सन्तुलन अप्रार्थी सं. 1 के हक में बखूबी साबित है। तथा खातेदार को रहन व मुन्तकिल रने व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया जाता है तो अपूर्णनीय क्षति मुझ प्रार्थी सं. 1 को होगी इसलिए प्रार्थीगण का दावा पेश किया है वह निराधार व कानून के खिलाफ व लने योग्य नही है जब दावा चलने योग्य नही है तो प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. इस स्टेज पर खारिज कये जाने योग्य है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने उभय पक्षकारान के विद्धवान वकीलो की बहस को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि

1. प्राइमाफेसी केस प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी सम्वत 2074-77 [illegible] काडं [illegible] की की गई जिसमें अप्रार्थी सं. 1 शंकर पुत्र गुलाब उर्फ गणेशी के नाम दर्ज [illegible] खातेदारी का अंकन है प्रार्थीगण द्वारा उक्त वाद अपनी पैत्रिक सम्पत्ति बताई है। [illegible] की घोषणा तथा प्रार्थीगण जो अपनी मॉ किस्तूरी के हिस्से [illegible] पैत्रिक [illegible] प्रार्थी सम्पत्ति मानते हुये अपना हक प्राप्त करने हेतु दावा पेश किया है। तथा केवियट [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Muhammad Junaid P P
Date: 2022.01.04 18:05:17 IST
Reason: SelfAttested

वकील द्वारा प्रस्तुत नजीर प्रकाश बनाम फूलवती वगै0 आर0आर0टी0 2016(1) पेज संख्या 29 था आर0आर0डी0732 अंकिता बनाम ताराचन्द सुप्रीम कोर्ट की पेश की है। उसमें भी यह प्रतिपादित किया है। कि उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के लागू होने के बाद मिला है। इसलिए यह स्पष्ट किया है कि जिन पुत्रियो के पिता की मृत्यु उत्तराधिकारी अधिनियम सन् 2005 के लागू होने से पूर्व हो चुकी है उन पिताओ की पैत्रिक सम्पत्ति में पुत्रियो को किसी भी प्रकार कोई भी अधिकार नही दिया गया है तथा अप्रार्थी सं. 1 की मृत्यु करीब 50 साल पूर्व बताया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी सं. 1 के हिस्से में दर्ज आराजीयात के इन्द्राजात खातेदारी प्रथम निर्विवाद प्रकट हो रही है। अप्रार्थी सं. 1 शंकर अपने हिस्से की आराजी को जरिये रजिस्टर्ड वयनामा केवियट कर्ता / गीता देवी पत्नि दिलीप जाति ब्राह्मण निवासी लखनपुर दिनॉक 04.08.2021 को किया गया है। जो कि अप्रार्थी सं. 1 अपने खातेदारी अधिकार की हैसियत से वयनामा किया गया है। इस प्रकार निर्विवाद खातेदार को राज0 टेनेन्सी एक्ट खातेदारी अधिकार के तहत् कानूनी की विर्भिन्न नजीरो के तहत किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकार के स्थगन आदेश से प्रतिबंधित करना प्रतीत नही होता है। इसलिए प्रथम दृष्टिया प्राइमाफेसी केस प्रार्थीगण के हक मे न होकर अप्रार्थीगण के हक में है।

2. सुविधा का सन्तुलन :– चूँकि अप्रार्थीगण सं. 1 के हक में निर्विवाद खातेदारी है और एक रिकॉडेड खातेदार को किसी भी स्थिति मे पाबंद किया जाना उचित नही है। इसलिए सुंविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के हक में न होकर अप्रार्थीगण के हक में है।

3. अपूर्णनीय क्षति :– चूंकि अप्रार्थी सं. 1 रिकॉडेड खातेदार है और रिकॉडेड खातेदार को उनके खातेदारी अधिकारो पर पाबंद किया जाता है तो खातेदारी अधिकारो का कुठरघात होगा जो एक अप्रार्थीगण को एक अपूर्णनीय क्षति होगी। एवं केवियट कर्ता भी प्रभावित होता है। इस संबंध मे नजीर आर0आर0डी0732 अंकिता बनाम ताराचन्द पेश की है। चूंकि केवियट कर्ता द्वारा रजिस्टर्ड वयनामा दिनॉक 04.08.2021 को जो वयनामा करवाया है जो जरिये कीमत खरीद किया है वह भी प्रभावित होता है। अप्रार्थी सं. 1 को रिलीज करने का भी अधिकार रखता है। इसलिए अप्रार्थीगण को स्थगन आदेश से पाबंद किया जाना न्याय उचित नही है।

अतः उपरोक्त प्रार्थना पत्र के बिन्दु प्राइमाफेसी केस सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति के विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0ए0 हक मे न होकर अप्रार्थीगण के हक में साबित है। तथा केवियट प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148 ए व 151 जा0 दी0 के तहत स्वीकार किया जाता है, तथा प्राथीगण का प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0ए0 इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनॉक 29.11.2021 को खुले न्यायालय इजलाश में लिखा जाकर सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Muhammad Junaid P R
Date: 2022.01.04 18:05:17 IST
Reason: SelfAttested

(मुहम्मद जुनैद (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
नदबई (भरतपुर)